भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3940
गुरूवार, 6 अप्रैल, 2023/16 चैत्र, 1945 (शक)

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का विस्तार

3940. सुश्री कविता पाटीदारः
डा. सुमेर सिंह सोलंकीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को विस्तारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना की पिछले पांच साल की प्रगति रिपोर्ट क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): नए रोजगार के सृजन के उद्देश्य से नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 01.04.2016 से प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत, प्रतिष्ठान के माध्यम से लाभार्थियों के पंजीयन की अन्तिम तिथि दिनांक 31.03.2019 थी। दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थियों को योजना के तहत पंजीकरण की तारीख से 3 साल तक अर्थात दिनांक 31 मार्च, 2022 तक लाभ मिलता रहा। 1.52 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 1.21 करोड़ लाभार्थियों को 9277.17 करोड़ रुपए का लाभ वितरित किया गया।

*****